फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्री मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस

GCMS NO. - 2022/145

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट मुकदमा नम्बर 259/2022

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.22		

यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सुजानगढ ग्रामीण की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 में नया खाता संख्या 412 व पुराना खाता संख्या 405 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रमेशचन्द्र पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी सुजानगढ दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार रमेश कुमार पुत्र कुंभाराम है। प्रार्थी का नाम रमेश कुमार पुत्र कुंभाराम किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी संवत 2076–2079 में प्रार्थी का नाम रमेशचन्द्र पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी सुजानगढ दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम रमेश कुमार पुत्र कुंभाराम है। जो शुद्व किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, व दस्तावेजात एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सुजानगढ़ ग्रामीण तहसील सुजानगढ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 में नया खाता संख्या 413 व पुराना खाता संख्या 405 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अनल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	सुजानगढ़ ग्रामीण	413 (नया) 405 (पुराना)	रमेशचन्द्र पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी सुजानगढ़	रमेश कुमार पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी सुजानगढ़

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

259/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.01.09 12:57:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

क्रमांकः राजस्व/2022/2695-2696 दिनांक: 26.10.22
2022

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित है।
2. प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़